SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1898

In the Court of Smt. Shyamvati marabi, Chief Judicial Magistrate, District- Balod C.G.

S Case No- **132** of 2024---------- Complaint or report made on----------

Name and adress of the Complant----------थाना प्रभारी/आबकारी वृत्त---PURUR------

---

Name parentage case and adress of accused

नाम अभियुक्त– **प्रेमलाल ठाकुर, पिता–पंचम राम ठाकुर, उम्र–45 वर्ष, साकिन–चिटौद, थाना–पुरूर, जिला–बालोद छ0ग0**

The offence comlained of and date of its alleged commission

आपने दिनांक ....21.12.2023.....को मुकाम ..... **एन0एच0–30 मार्ग ग्राम चिटौद पंचायत भवन के सामने**.....थाना .....पुरूर..... जिला .....बालोद छ0ग0..... क्षेत्रांतर्गत सार्वजनिक स्थान पर मदिरा पान करते हुए पाये गये/ **सार्वजनिक स्थान पर मदिरा पान कराया**/बिना वैध अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य के स्थान को सामान्य मदिरा पान गृह के रूप में उपयोग किया।

ऐसा करके आपने वह जुर्म किया जो कि छ0ग0 आबकारी अधिनियम की धारा 36 (च) भाग–1/36–क, **36–ग** के तहत दंडनीय अपराध कारित होकर इस न्यायालय के संज्ञान व विचारण में आता है।

क्या तुम्हें जुर्म स्वीकार है या विचारण चाहते हो।

(श्रीमती श्यामवती मराबी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बालोद, छ0ग0

The plea of the accused and his examination (if any)

(श्रीमती श्यामवती मराबी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बालोद, छ0ग0

The offence proved if any and in case under clause (d) clause (e) clause (f) or clause(g) of sub section (i) of Section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed-
GRPRJ-FS/430-3/2001-1;00;000

<u>न्यायालय :– श्रीमती श्यामवती मराबी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालोद, जिला बालोद छ0ग0</u>

: : निर्णय : :

(आज दिनांक 09.03.2024 को घोषित)

1 आरोपी/आरोपीगण के स्वेच्छयापूर्वक जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर उसे छ0ग0 आबकारी अधिनियम की **धारा** 36 (च) भाग–1/36–क, **36–सी** तहत दोषी पाया जाता है। अभियुक्त की अपराध की प्रकृति को देखते हुये उसे परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रकरण में आरोपी को अर्थदण्ड से दंडित किये जाने पर न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति होना संभावित है। अतः आरोपी को धारा छ0ग0 आबकारी अधिनियम की **धारा** 36 (च) भाग–1/36–क, **36–सी** के अपराध में रूपये .....200/–..... के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। आरोपी के द्वारा अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं करने पर आरोपी को .....03 दिवस.... के साधारण कारावास की सजा भुगतायी जाये।

2 प्रकरण में जब्तशुदा संपत्ति अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की दशा में नष्ट किया जावे तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही किया जावे।

निर्णय दिनांकित हस्ताक्षरित कर
पोषत किया गया।

(श्रीमती श्यामवती मराबी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला–बालोद(छ0ग0)

मेरे निर्देश पर टंकित।

(श्रीमती श्यामवती मराबी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला–बालोद(छ0ग0)